अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 11-Issue 04, (Oct-Dec 2023)

द्विराष्ट्र सिद्धांत व विभाजन

राजेश रांझा
एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास
पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय, करनाल

भारत का विभाजन पूरे उपमहाद्वीप के लिए 20वी सदी की सबसे बड़ी निर्णायक घटना थी। जिसकी दर्दनाक वेदना अभी भी दुखती है। उस अतीत व रक्त रंजित बंटवारे का दर्द आज भी भारत-पाक संबंधों को नहीं सुधरने दे रहा है। क्योंकि हम उन वर्षों की महान गलतियों के जवाब खोजने के प्रयासों में आज भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्मृति का जख्म देने कार्य का व्यावहारिक रूप मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिए गए द्विराष्ट्र सिद्धांत से आरंभ होता है। जिसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में आया। मेरा इस व्याख्यान में यह जानने का प्रयास रहेगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति ने भारत को कैसे विभाजन किया है।

भारत का विभाजन इस महाद्वीप का भौगोलिक बंटवारा भर नहीं था यह अमानवीयता की खून भयानक तस्वीरों में से एक था। जो 20वीं सदी की क्रांतिया और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी दस्तानों का एक हिस्सा है। जो स्मृति पटल पर गहरी दर्ज हो गई है। यह हमारी स्वतंत्रता पर एक दाग है।

भारतीय राजनीति में अंग्रेज सरकार ने अपने आपको स्थाई बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता को महत्व दिया। 20वीं शताब्दी के दौरान इसकी जड़े मजबूत हो गई और भारतीय राजनीति में घुसकर इसे दीमक की तरह खोखला करती चली गई। अलग प्रतिनिधित्व के जरिए मत अधिकार प्राप्त मुसलमान और दूसरे वर्ग के लोगों के सांप्रदायिक दृष्टि से वोट देने के लिए, सांप्रदायिक दृष्टि से सोचने के लिए, केवल सांप्रदायिक किस्म के चुनाव भाषण सुनने के लिए, प्रतिनिधियों का केवल सांप्रदायिक आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, संवैधानिक तथा अन्य सुधारो को सांप्रदायिकता की दृष्टि से व्यक्त करने के लिए विवश किया गया। अंग्रेज सरकार ने विभाजन के पीछे यह भी कारण बताया कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। इसके पीछे धार्मिक व जाति व्यवस्था नहीं थी बल्कि ब्रिटेन के सामने राजनीतिक हित भी शामिल रहे हैं।

सांप्रदायिक राजनीति- भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद भारत में कुछ मुस्लिम शासन और भारतीय जनता अपनी पुरानी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहे। बहावी आंदोलन, जो भारत की स्वतंत्रता से पहले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अहमद शाह बरेलवी ने किया, उन्होंने इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने और समाज को धार्मिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया। बरेलवी ने भारतीय मुसलिम लीग के लोगों में धार्मिक सुधार आंदोलन, संगठन और जिहाद के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरोध की भावना को मजबूत किया। उसने मुस्लिम समाज को एकजुट करने का निरंतर प्रयास किया। जिसके परिणाम स्वरुप हम अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जो आज अंग्रेजों ने छीन ली है। सैयद अहमद खान ने भारत में मुस्लिम समाज को शिक्षा के माध्यम से उदार करने का निर्णय लिया और उनका मानना था कि भारतीय मुसलमान को पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी लोगों से लगाव करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 11-Issue 04, (Oct-Dec 2023)

समाज के उत्थान के लिए अलीगढ़ में अलीगढ़ मोहम्मद डाल एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम जो पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव के बजाय सहयोग की नीति अपनाई। और अंग्रेज सरकार ने भी उनका तुरंत हाथ पकड़ लिया जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए निरंतर खतरा बनता चला गया।

मोहम्मद इकबाल- पंजाब के कवि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में लीग के वार्षिक अधिवेशन के भाषण में कहा, "मैं चाहता हूं कि पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलोचिस्तान को मिलकर एक राज्य बना दिया जाए क्योंकि इन प्रदेशों में रहने वाले मुसलमान के भाग्य इसी में है"। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अंबाला डिवीजन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। सहारनपुर तक सीमित रहे साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह राज्य भारत से अलग नहीं होगा। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया में कहा कि मेरी यह योजना अंग्रेजों, हिंदुओं और मुसलमान के लिए हानिकारक होगी। यद्यपि उस समय भारतीय मुसलमान ने इसको महत्व नहीं दिया लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं के मन में एक अलग राज्य की नींव का विचार जन्म ले गया।

रहमत अली- कैंब्रिज विश्वविद्यालय के मुसलमान विद्यार्थियों ने अपने एक साथी चौधरी रहमत अली के नेतृत्व में रुचि ली। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को 1933 में प्रयोग किया। "पाकिस्तान" फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पाक लोगों का देश। तीसरी गोलमेज सम्मेलन के समय लंदन में एकत्रित हुए भारतीय मुसलमान के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि उन्हें इस सम्मेलन में मुसलमान के हितों के लिए पाकिस्तान के रूप में एक अलग भू भाग की मांग करनी चाहिए। पाकिस्तान शब्द पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंद्ध, व बलोचिस्तान को मिलाकर देखा गया है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के नेतृत्व में इसको अनदेखा कर दिया गया।

1937 के चुनाव की प्रक्रिया- 1935 के अंतर्गत सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस, 6 हिंदू बहुल प्रांत में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विजय हुई। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत में भी मुस्लिम लीग का कोई महत्व नहीं मिला। इन प्रांतों में मुस्लिम लीग से इतर पार्टी सत्ता में आई जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक समाज पार्टी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से संयुक्त प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने की अपील की क्योंकि दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रांत में नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी को हराने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मित्रता पूर्ण चुनाव लड़ा था। लेकिन नेहरू जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कांग्रेस का पटका पहनना होगा। इसमें मुस्लिम लीग का नेतृत्व नाराज हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता नहीं दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में केवल दो शक्ति है, एक ब्रिटिश शक्ति दूसरी कांग्रेस शक्ति। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि एक तीसरी शक्ति मुस्लिम लीग है। लीग अब कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र के बजाय उसके हिंदू चरित्र पर जोर देने लगी। इस चुनाव में दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ा दी। जिन्ना ने कहा

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 11-Issue 04, (Oct-Dec 2023)

यदि भविष्य में स्वतंत्रता मिली तो 7 करोड़ मुसलमान का हिंदू लोगों के आगे दासता का जीवन व्यतीत करना होगा। उन्होंने नारा दिया इस्लाम खतरे में है और उग्र रवैया अपना लिया।

लाहौर प्रस्ताव द्विराष्ट्र सिद्धांत- इस सिद्धांत में मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। दोनों को धर्म संस्कृति की परंपराएं, इतिहास और सामाजिक जीवन अलग-अलग है। इसलिए वह एक देश में समान रूप से नहीं रह सकते। मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान होना चाहिए। उनका मानना था कि मुसलमान की पहचान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक रूप से भी अलग है। जब तक ये आधारभूत सत्य स्वीकार नहीं किया जाता तब तक कोई भी संविधान बने वह हमारे लिए व्यर्थ है। यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में इस महाद्वीप में शांति चाहती है यहां के लोग शांति से रहे तो भारत में अलग देश की व्यवस्था करें और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक भारतीय राष्ट्र के रूप में संपन्न नहीं हो सकते। सवाल यह है कि जिन्ना को एक समय हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया। आगा खान जो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने, लिखा कि जिन्ना ने उन सब कार्यों का विरोध किया जो हम और हमारे मित्र मुस्लिम लीग में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पृथक मतदाता मंडलों का हमारा सिद्धांत राष्ट्र का आंतरिक विभाजन कर रहा है। 1906 के बाद जिन्ना ने जितने भी जनसभाएं की उसने राष्ट्रीय एकता पर ही बल दिया। इसमें प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता करने में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की अहम भूमिका रही। जब सरकार ने रोलेट एक्ट पास कर दिया गया। इसके विरोध में विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढचढ कर भाग लेते रहे। 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के विषय पर मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया, इंग्लैंड चले गए। 1924 में मुस्लिम लीग में सक्रिय हो गई लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दे रहे थे। 1925 में जब एक मुस्लिम नौजवान ने यह कहा कि मैं मुसलमान पहले हूं तो उन्होंने उसे समझाया, "नहीं बेटा, तुम पहले भारतीय हो और बाद में मुसलमान"। मार्च 1936 में उन्होंने कहा "मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दाखिल होने के बाद से मैंने जो कुछ भी किया है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं जरा भी नहीं बदला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारत की भलाई चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। कोई भी चीज मुझे इससे एक इंच भी नहीं डिगा सकती"। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को किसी भी राज्य में बहुमत नहीं मिला। जिन्ना की मुस्लिम लीग व जनता में ख्याति में गिरावट आई। उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रांत में मिलकर मंत्रिमंडल बनाने का प्रस्ताव जिन्ना ने नेहरू को दिया। लेकिन नेहरू ने संयुक्त मंत्री मंडल में शामिल करने के लिए इंकार कर दिया। जिससे जिन्ना क्रोधित हो गया और कहा कि भारत में इस्लाम मानने वाले सुरक्षित नहीं हैं। जिन्होंने इस्लाम खतरे का नारा दिया और मुस्लिम लोगों को आह्वान किया कि अगर यही व्यवस्था बनी रही तो हमेशा हमें हिंदुओं की दया पर रहना पड़ेगा तो आज हमें अपने साथ मंत्रिमंडल के स्थान नहीं देते। देश की आजाद होने के बाद तो संयुक्त भारत में मुसलमान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान आंदोलन में निसंदेह कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद भारतीय मुसलमान को प्रभावित किया। यद्यपि पाकिस्तान की मांग काफी पुरानी थी। पाकिस्तान के जन्मदाता जिन्ना को भी

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 11-Issue 04, (Oct-Dec 2023)

काफी समय बाद इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी। पेडरल मून लिखते हैं कि 1940 में जिन्ना ने स्वयं अपने दोस्तों से कहा था कि पाकिस्तान की मांग कांग्रेस से कुछ राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने के लिए उसकी एक चाल है। जिन्ना कभी भी पाकिस्तान को ठीक रूपरेखा के संबंध में बयान देने के उत्सुक न थे।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव मजबूत होना- विश्व युद्ध में एक ओर ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच, दूसरी ओर कांग्रेस और लीग के मध्य राजनीतिक अलगांव को और गहरा कर दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना हुआ था कि भारत के सहयोग के बिना हम यह से हम यह युद्ध नहीं जीत सकते हैं। लिन लिंथगो ने गांधी जी व नेहरू जी का समर्थन प्राप्त करने को सबसे अधिक महत्व दिया क्योंकि उनकी अपील बहुत प्रभावी हो सकती है। लिन लिथगो को कांग्रेस की ताकत को जानता था उसके सहयोग से सैन्य शक्ति मैं बढ़ोतरी हो सकती है। और सेना की निष्ठा भी बनी रहती है। लिन लिथ गो ने भारतीय नेताओं से बात शुरू कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने समर्थन देने से मना कर दिया, शर्त रखी पहले स्वतंत्रता की घोषणा करें। गांधी जी, यद्यपि सहयोग के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जब शत्रु संकट में है उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। हम उनके साथ देना चाहिए लेकिन कांग्रेस में सहमति नहीं बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव रहा कि वह भारत को मनाएं। लेकिन वह भारत को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी पार्लियामेंट में कहा कि मैं इंग्लैंड का दिवालिया निकालने के लिए इंगलैंड का प्रधानमंत्री नहीं बना। हम किसी भी कीमत पर भारत नहीं छोड़ेंगे। दबाव को कम करने के लिए लिन लिंथगो, मोहम्मद अली जिन्ना से समर्थन की बात करते हैं। लीग ने प्रस्ताव दिया यदि वायसराय लीग के नेताओं को अपने विश्वास में ले और लीग को भारत के मुसलमान की ओर से बोलने वाली एकमात्र संगठन मान लें तो हम उन्हें अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इससे ब्रिटिश सरकार प्रसन्न हो गई। उसने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लीग ने विश्व युद्ध के दौरान सहयोग देने का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया कि भारतवर्ष का कोई भी संविधान उनकी स्वीकृति के बिना नहीं माना जाएगा। अल्पसंख्यकों के मामले में वह लीग से परामर्श लेगा। इस प्रस्ताव में ब्रिटेन ने यह भी कहा कि वह अपने उत्तरदायित्व को किसी ऐसी सरकार को हस्तांतरित नहीं करेगा जिसमें लीग का समर्थन ना हो। लीग को अब भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न पर वीटो पावर मिल गई। यदि कांग्रेस गांधी की बात को महत्व देती तो मुस्लिम लीग को यह वीटो पावर नहीं मिलती।

मुस्लिम लीग का शक्तिशाली होना- सांप्रदायिक मुस्लिम लीग की न केवल सांप्रदायिक भावना की प्रबल हुई बल्कि भारत को संवैधानिक प्रगति का नियंत्रण भी उनके हाथ में आ गया। क्रिप्स योजना द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थिति और भी गंभीर बना दी। क्योंकि उसके एक प्रकार से भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। पेडरल मून ने लिखा है, "जिन्ना के लिए क्रिप्स योजना का असफल होना बड़ी जीत थी। इसमें उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। वह इतना हठी हो गया कि वह कांग्रेस के नेताओं के साथ किसी भी योजना में किसी भी समझौते पर सोच विचार करने को तैयार नहीं था"।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 11-Issue 04, (Oct-Dec 2023)

सप्रू कमेटी के प्रयत्न राजगोपालाचार्य योजना व लॉर्ड वेवेल के विभाजन तर्क भी जिन्ना को संतुष्ट न कर सके। जब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस के नेता जेल में रहे तो उनकी राजनीतिक क्षेत्र में अनुपस्थित का बहुत फायदा लीग ने उठाया।

1946 के चुनाव के भारत के राजनीतिक वातावरण को साफ कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी अकाली दल को छोड़कर पंजाब में सभी दलों का सफाया कर दिया। कांग्रेस में राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम सीट जीतने में सफल नहीं हुए। अब जिन्ना के हाथ मजबूत हो गए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस अकाली दल के साथ मिलकर सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री बने। यह मुस्लिम लीग को सहन नहीं हुआ। वह पंजाब में विधानसभा में बड़ी पार्टी थी। दूसरा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में अपने प्रभाव का प्रयोग किया। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम लोगों को अपने पक्ष में लाने की अंतिम कोशिश की।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार मिली जुली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी। मुस्लिम लीग ने पहले इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और सीधी कार्यवाही का आह्वान किया। लाखों लोग मारे गए। यह विदेशी सत्ता को भी चुनौती थी। अंत में वह मिली जुली सरकार में सरकार को अंदर से तोड़ने के लिए शामिल हुए। इसके परिणाम स्वरुप सरकार नहीं चल पाई। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के विरोध के बाद भी दंगों की भयावह घटनाओं ने इस समस्या के प्रति कांग्रेस की सोच में परिवर्तन ला दिया।

गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने विभाजन की योजना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी दलील दी। किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। पूरी की पूरी कांग्रेस समिति जिसमें नेहरू और पटेल भी शामिल थे, उन्होंने इस बात को स्वीकृति दे दी कि भारत की समस्या का हल देश का विभाजन है।

संदर्भ -ग्रंथ सूची:

(01) सत्यम राय---- पार्टीशन ऑफ़ द पंजाब (मुंबई 1965)
(02) कृपाल सिंह------ द पार्टीशन ऑफ़ पंजाब (पटियाला 1972)
(03) लेरी कॉलिंस और लापियर ------फ्रीडम तो मिडनाइट (1982 ऑक्सफोर्ड)
(04) फेडरल मून -------डिवाइड एंड क्यूट (लंदन 1961)
(05) डेविड पेज ------- प्रीलयूड टु पार्टीशन :द इंडियन मुस्लिम एंड द इंपीरियल सिस्टम ऑफ़ कंट्रोल 1920 1932 (ऑक्सफोर्ड लंदन 1982)
(06) डॉ भीमराव अंबेडकर------- पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ़ इंडिया (मुंबई 1940).
(07) अनीता इंदर सिंह-------- भारत का विभाजन (नई दिल्ली 2007)
(08) जसवंत सिंह-------- जिन्ना: भारतीय विभाजन के आईने में (दिल्ली 2009)
(09) मौलाना आजाद -----इंडिया विंस फ्रीडम (मुंबई 1959)
(10) सत्य एम. राय भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 1983)
(11) हिमांशु राय------ भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (दिल्ली 2013)
(12) प्रो. विपिन चंद्र ------भारत का स्वतंत्रता संघर्ष (1990 दिल्ली)।